आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

लगान धार्य वाद सं०-- 07 / 2021-22

-: आदेश :-

अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के पत्रांक-159 / रा0, दिनांक- 22.03. 2021 के द्वारा मौजा-ढेकीडुबा, अनावादी खाता संख्या-05, दाग संख्या- 854 कुल रकवा-- 01बी0--05क0--08धूर जमीन में से अंश रकवा--00बी0-06क0-00 धूर किस्म पुरातन पतित के अन्तर्गत बंदोबस्ती पट्टा वाद सं0-04 / 2011-12 से प्राप्त है। आवेदक दाउद मियाँ, पिता-स्व0 सलीम मियाँ, सा0-ढेकीडूबा, जिला-पाकुड के नाम से प्राप्त रकवा-00बीधा--06कट्ठा--00धूर (छः कट्ठा) जमीन का लगान धार्य हेतु अनुरोध किया है। संबंधित हल्का कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक का प्रस्ताव प्रपत्र एम0 में प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें अंचल अधिकारी, पाकुड़िया द्वारा हस्ताक्षरित है के अनुसार प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियानी में पुरातन पतित कहकर दर्ज है। न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के बन्दोबस्ती मु0 सं0--04 / 2011-12 के पारित आदेश द्वारा आवेदक दाउद मियाँ, पिता-स्व0 सलीम मियाँ, सा0-ढेकीडूबा, जिला-पाकुड़ को उक्त भूमि प्राप्त है, जिसपर आवेदक का शांतिपूर्ण भोग दखल कब्जा है। अंचल अधिकारी पाकुड़िया ने प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण हेतु प्रपत्र एम0 पर स्पष्ट अनुशंसा की है।

अंचल अधिकारी, पाकुड़िया ने प्रश्नगत भूमि से संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक पाकुड़िया के अनुशंसा एवं राजस्व आय में वृद्धि के मद्देनजर भूमि का वार्षिक लगान 3/--(तीन रुपए) प्रतिवर्ष प्रतिबीघा अर्थात् उक्त भूमि का नया लगान धार्य जमा के आलोक में 2/-(दो रुपये) प्रतिवर्ष अलावे सेस निर्धारित करने की अनुशंसा की है।

अतः अंचल अधिकारी पाकुड़िया के अनुशंसा एवं राजस्व आय में वृद्धि के आधार पर प्रश्नगत भूमि का 2/-(दो रुपये) प्रतिवर्ष वार्षिक लगान के अलावे सेस आवेदक दाउद मियाँ, पिता-स्व0 सलीम मियाँ, सा0-ढेकीडूबा, के नाम करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि से वसूलनीय होगा। प्रपत्र एम0 में हस्ताक्षर कर दिया गया है। प्रपत्र एम0 की एक प्रति एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी पाकुड़िया को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Digitally signed by HARI BANSH PANDIT
Date: 2023.04.19 12:35:26 +05:30
Location: 10.93.53.11

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,
पाकुड़।

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता,
पाकुड़।

22